

प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान

स्नातक स्तर :-

1.	बी0एस-सी0 प्रथम वर्ष (गणित वर्ग) (क) भौतिक विज्ञान (ख) गणित (ग) रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा	-	90
2.	बी0एस-सी0 प्रथम वर्ष (जीव विज्ञान वर्ग) (क) जन्तु विज्ञान (ख) वनस्पति विज्ञान (ग) रसायन विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा	-	90
3.	बी0ए0 प्रथम वर्ष (क) हिन्दी साहित्य (ख) अंग्रेजी साहित्य (ग) अर्थशास्त्र (घ) इतिहास (ङ) राजनीति शास्त्र (च) शारीरिक शिक्षा। इनमें से कोई तीन विषय	-	360
4.	बी0काम0 प्रथम वर्ष	-	120

परास्नातक स्तर :-

5.	एम0काम0 पूर्वार्द्ध	-	50
----	---------------------	---	----

नोट :

1. स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा एम0काम0 में पिता के शासकीय स्थानान्तरण की दशा में छोड़कर अन्य किसी दशा में बाहरी प्रवेशार्थियों का प्रवेश नहीं होगा।
2. शारीरिक शिक्षा विषय केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रवेशार्थियों को ही दिया जाएगा। विकलांग प्रवेशार्थी शारीरिक शिक्षा विषय में प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।
3. शारीरिक शिक्षा विषय लेने वाले प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय एम0बी0बी0एस0 डाक्टर द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. प्रवेश केवल मेधा सूची (मेरिट) के आधार पर ही होगा। इसके लिए वरीयता सूची निम्नवत बनाई जायेगी-
1) इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांक
2) व्यावसायिक एवं सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रमों को छोड़कर (जो अन्य विनियामक संस्थाओं के विनियमों के अधीन संचालित होते हैं) अन्तिम परीक्षा/उपाधि प्राप्त करने से पाँच वर्ष के अन्तराल तक प्रवेश के इच्छुक छात्रों की मेरिट में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत अंकों की कटौती कर उनकी वरीयता निर्धारित करते हुए प्रवेश दिया जा सकेगा।
3) खेल-कूद/क्रीड़ा।

(अ) प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग हेतु - 10 अंक

नोट :- प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग का अर्थ है कि छात्र/छात्रा ने मण्डलीय/प्रदेशीय टीम में चयन के पश्चात् प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो।

(ब) एन0सी0सी0 'बी' सर्टीफिकेट - 10 अंक

(स) एन0सी0सी0 'सी' सर्टीफिकेट - 15 अंक

नोट :- अ, ब तथा स के आधार पर कुल वरीयता 15 अंक से अधिक नहीं होगी।

(द) कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के कार्यरत प्राध्यापक/कर्मचारियों के पाल्य के लिए - 10 अंक

(य) इस महाविद्यालय के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री यदि वि0वि0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हैं तो उन्हें उनके वर्ग में प्रवेश दिया जायेगा।

2. एम0काम0, बी0काम0, बी0एस-सी0 एवं बी0ए0 (प्रथम वर्ष) कक्षाओं में आवेदन करने हेतु सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों के न्यूनतम निम्नांकित अंक होना अनिवार्य है-

- | | |
|------------------------|---|
| (1) ए0काम0 पूर्वार्द्ध | - बी0काम0 में न्यूनतम 45 प्रतिशत। |
| (2) बी0काम0 प्रथम वर्ष | - इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत। |
| (3) बी0ए0 प्रथम वर्ष | - इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत। |

विज्ञान वर्ग- बी0एस-सी0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट विज्ञान परीक्षा में प्रायोगिक एवं लिखित में पृथक-पृथक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

वाणिज्य वर्ग- बी0काम0 प्रथम वर्ष में केवल इण्टरमीडिएट वाणिज्य वर्ग एवं व्यावसायिक (वाणिज्य वर्ग) के अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे।

- विशेष परिस्थितियों में विज्ञान एवं कला वर्ग के प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु मेरिट बनाते समय उनके 25 अंक कम कर दिये जाएंगे। ऐसे प्रवेशार्थियों के इण्टर में न्यूनतम 50% अंक होना आवश्यक है।
- व्यावसायिक (वाणिज्य वर्ग) के बी0काम0 (प्रथम वर्ष) के प्रवेशार्थियों को वाणिज्य वर्ग के समकक्ष लाने हेतु निम्नानुसार मेरिट बनाई जाएगी-

$$\{\text{कुल प्राप्तांक (व्यावसायिक वर्ग)} - \text{प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक}\} \times \frac{5}{6}$$

नोट - व्यावसायिक वर्ग के एकाउन्ट एवं आडिटिंग विषय के साथ उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा अन्य को नहीं।

कला वर्ग - बी0ए0 प्रथम वर्ष में कला वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग के छात्र भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे किन्तु मेरिट बनाते समय उनके 25 अंक कम कर दिये जाएंगे।

इण्टरमीडिएट कृषि विषय से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को बी0ए0 में प्रवेश हो सकता है। ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं (दोनों) की अंकतालिका संलग्न करना अनिवार्य है। कृषि एवं व्यावसायिक विषय के प्रवेशार्थियों को कला वर्ग के प्रवेशार्थियों के समकक्ष लाने हेतु निम्नानुसार मेरिट बनाई जाएगी।

$$\{\text{कुल प्राप्तांक (व्यावसायिक वर्ग)} - \text{प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक}\} \times \frac{5}{6}$$

बी0ए0 (प्रथम वर्ष) में किसी विषय में निर्धारित संख्या में अधिक आवेदक होने पर मेरिट के आधार पर विषयों का आवंटन किया जायेगा।

आरक्षण

शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा और तदनुसार प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया में आरक्षण नियम प्रभावी होंगे।

- | | |
|----------------------|--------|
| (क) अनुसूचित जाति | - 21 % |
| (ख) अनुसूचित जन जाति | - 02 % |
| (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग | - 27 % |
- (घ) आरक्षण सम्बन्धी सभी प्रावधान उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार लागू होंगे।

क्षैतिज आरक्षण :-

- नोट : (1) (क) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक के पाल्य के लिए मिलाकर 5% क्षैतिज आरक्षण रहेगा। (भूतपूर्व सैनिक के श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों/शहीद सैनिकों/अपंग सैनिकों के पाल्य हैं)
- (ख) महिला प्रवेशार्थियों को शासनादेश के अनुसार उनके संवर्ग में प्रवेश हेतु 20% आरक्षण दिया जायेगा।
- (2) यदि आरक्षित सीटों में से कोई सीट पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

1. प्रवेश आवेदन पत्र विवरणिका सहित प्राचार्य कार्यालय से रु0 150/- नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक स्पष्ट एवं स्वच्छ अक्षरों में पूरित कर कार्यालय में जमा करना होगा।
3. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों का होना अनिवार्य है:-
 - (क) हाईस्कूल परीक्षा एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की स्वप्रमाणित अंक तालिका। बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु इण्टर कृषि वर्ग के प्रवेशार्थियों को 11वीं उत्तीर्ण अंकतालिका भी संलग्न करना अनिवार्य है।
 - (ख) गैप वर्षों के प्रकरण में शपथ-पत्र तथा गैप वर्षों हेतु अतिरिक्त चरित्र प्रमाण-पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त) मूल रूप में देना आवश्यक है।
 - (ग) व्यक्तिगत छात्र रहे हों तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र मूलरूप में देना आवश्यक है।
 - (घ) आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. खेलकूद अथवा अन्य प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
6. जाति प्रमाण-पत्र (केवल आरक्षित वर्गों के लिए) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत की गयी, स्वप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।
7. समस्त प्रवेशार्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम आय प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8. प्रवेशार्थियों को प्रवेश के समय ही अपने विषय निश्चित करने होंगे। प्रवेश के बाद विषय परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
9. वाणिज्य संकाय में जो प्रश्न पत्र पढ़ाये जायेंगे वही विषय/प्रश्नपत्र छात्रों को लेना होगा। महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों से इतर विषय भरने वाले छात्रों का परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय नहीं भेजा जायेगा।
10. प्रवेश हेतु साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी। व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक से सूचना नहीं दी जायेगी। साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित न होने की दशा में प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा। ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर आगे के छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे दिया जायेगा।
11. प्रतीक्षा सूची में आने वाले प्रवेशार्थियों को अपनी उपस्थिति सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक आवश्यक रूप से दर्ज कराना अनिवार्य है। निर्धारित समय के बाद उपस्थित होने वाले प्रवेशार्थियों को किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
12. प्रवेश के समय प्रथम वर्ष के समस्त प्रवेशार्थियों को अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
13. साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. प्रवेश समिति छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार करके अपनी संस्तुति प्राचार्य को देगी। प्रवेश संस्तुति एवं स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई समस्त अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्रों पर प्रवेशार्थी अपने हस्ताक्षर अंकित करें।
16. साक्षात्कार के समय समस्त मूल अंकपत्र, प्रमाण-पत्र आदि लाना अनिवार्य है।
17. प्रवेश देने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्राचार्य बिना कारण बताये प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है।
18. भारांक (Weightage) हेतु उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त कोई भी अतिरिक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
19. प्रवेशार्थी को साक्षात्कार के समय रंगीन पासपोर्ट साइज को दो फोटो लाना अनिवार्य है। (प्रवेश आवेदन-पत्र सहित सभी फोटो एक जैसी हों)

निम्नलिखित परिस्थितियों में महाविद्यालय में प्रवेश सम्भव नहीं है।

1. जो गत वर्ष किसी भी विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो।
2. जो गतवर्ष विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से रोक दिये गये हों अथवा जिनका परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग करने के अभियोग में रोक दिया गया हो।
3. जिन्होंने महाविद्यालय की किसी कक्षा में गतवर्ष में प्रवेश लिया हो किन्तु किसी भी कारण परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों।
4. जिन छात्रों पर भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अन्तर्गत अभियोग में मुकदमा चल रहा हो अथवा दण्ड पा चुके हों।
5. महाविद्यालय स्तर पर अनुशासनहीनता के दोषी छात्र/छात्रा हों।

प्रवेश का आधार

1. प्रवेश का आधार योग्यता, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित नियम होंगे।
2. आरक्षण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन होगा।
3. निर्धारित तिथि के भीतर ही शुल्क जमा करना होगा।
4. किसी भी दशा में आंशिक शुल्क भुगतान स्वीकार नहीं होगा।
5. टी0सी0 तथा चरित्र प्रमाण-पत्र की मूलप्रति प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

यूनीफार्म (गणवेश)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य है, गणवेश निम्नलिखित प्रकार का होगा।

छात्र :

1. सफेद कमीज पूरी आस्तीन (प्लेन)
2. पैन्ट काली (जीन्स नहीं) (प्लेन)
3. काला जूता
4. काला मोजा
5. मैरून स्वेटर (प्लेन)/मैरून ब्लेजर कोट।
6. ट्रैक सूट (केवल शारीरिक शिक्षा विषय के छात्रों हेतु)

छात्रा :

1. कर्तई कुर्ता ('ए' शेप का)
2. सफेद सलवार (चूड़ीदार पायजामा नहीं)
3. सफेद चुन्नी (प्लेन)
4. काला स्वेटर (प्लेन)
5. काला जूता (वैली)
6. काला ब्लेजर कोट (शॉल नहीं)
7. ट्रैक सूट (केवल शारीरिक शिक्षा विषय की छात्राओं हेतु)

महाविद्यालय की समितियाँ

महाविद्यालय में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1. महिला प्रकोष्ठ | 2. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ | 3. कैरियर गाइडेंस प्रकोष्ठ |
| 4. पूर्व छात्र परिषद् | 5. एन्टी रैगिंग प्रकोष्ठ | 6. आवश्यकतानुसार - अन्य समितियाँ |